भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3771

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च , 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

आसानी से शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं/नीतियां

3771. श्री नारायण तातू राणे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में छात्रों को आसानी से शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई नई योजनाएं/नीतियां बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी निधि जारी की गई है;

(ग) अब तक निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बैंकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए ऋण की भावी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ दिनांक 6.11.2024 को किया गया है, जो मेधावी छात्रों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न कर सके। यह योजना उन मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करेगी जो देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेते हैं और इन क्यूएचईआई के मेधावी छात्र एक सरल, पारदर्शी, छात्र हितैषी और पूर्णत: डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटीदाता रहित शिक्षा ऋण ले सकेंगे। ऋण में केवल भारत में अध्ययन के लिए ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य विनिर्दिष्ट व्यय की पूरी राशि को कवर किया जाएगा।

यह योजना एक वर्ष में अधिकतम एक लाख जरूरतमंद छात्रों को अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता भी प्रदान करती है, जिन्हें शिक्षा ऋणों पर किसी अन्य छात्रवृत्ति/ब्याज सहायता का लाभ नहीं मिलता है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। यह सीएसआईएस के अंतर्गत 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज सहायता के अतिरिक्त है।

इसके अलावा, 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी भी प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा वर्ष 2001 में मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस) तैयार की गई है तथा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमईएलएस अपनाने की

सलाह दी गई है। आईबीए द्वारा समय-समय पर इस योजना को संशोधित किया गया है और एमईएलएस में नवीनतम संशोधन दिनांक 21.3.2024 को किया गया है।

(ख): शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीएसआईएस और सीजीएफएसईएल के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

		राशि करोड़ में
योजना का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि	चालू वर्ष के दौरान जारी निधि (फरवरी 2025 तक)
सीएसआईएस	₹ 1990.02	₹ 514.36
सीजीएफएसईएल	₹ 950.00	0.00

(ग): शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएम-विद्यालक्ष्मी के वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 3% ब्याज सहायता के लिए वर्षवार लक्ष्य आवंटन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	राशि (₹ करोड़)	नए दावे	नवीनीकरण दावे	दावों की कुल संख्या
2024-25	0	1,00,000	0	1,00,000
2025-26	75	1,00,000	1,00,000	2,00,000
2026-27	225	1,00,000	2,00,000	3,00,000
2027-28	450	1,00,000	3,00,000	4,00,000
2028-29	750	1,00,000	4,00,000	5,00,000
2029-30	1,050	1,00,000	4,00,000	5,00,000
2030-31	1,050	1,00,000	4,00,000	5,00,000
कुल 2024-25 से 2030-31	3,600	7,00,000	18,00,000	25,00,000

(घ): भारतीय बैंक संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उच्चतर शिक्षा के लिए ऋणों की भावी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए बैंकों द्वारा अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

*****